

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी
कासगंज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-194/1-10-2014-12(70)/13, दिनांक 26.02.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित लोक निर्माण विभाग की 68 सड़कों की मरम्मत हेतु रू0 1605.87 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 802.935 लाख आवंटित की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-1025/7ए-सी0आर0ए0, दिनांक 11-09-2014 द्वारा किये गये अनुरोध तथा शासन के पत्र संख्या-915/1-10-2014-12(70)/13, दिनांक 21.10.2014 के क्रम में टास्क फोर्स की रिपोर्ट और द्वितीय किश्त की मांग हेतु प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुये उक्त 68 कार्यों हेतु अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 8,02,93,500/- (रूपये आठ करोड़ दो लाख तिरानबे हजार पाँच सौ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	कार्य/परियोजना का नाम	द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	बरेली मथुरा मार्ग	10.50
2	एटा गजडुण्डवारा मार्ग	15.00
3	कासगंज अमापुर मार्ग से अमरपुर घाट होते हुए एटा कासगंज मार्ग	12.50
4	कासगंज इस्माइलपुर मार्ग	18.60
5	बदरिया बरवारा सिरावली मार्ग	11.00
6	कासगंज अमापुर मार्ग	11.10
7	एटा अमापुर सहावर मार्ग	14.25

8	एल0जी0सी0 पटरी मार्ग	10.50
9	सहावर मोहनपुर सिढपुरा मार्ग	10.375
10	गजडुण्डवरा सुन्नगढी मार्ग	10.00
11	गजडुण्डवरा कादरगंज गंगपुर मार्ग	5.025
12	ढोलना अथैया श्यामदेवता घाट मार्ग	19.905
13	ढोलना इखौना चिलकुनि कुईया मार्ग	20.75
14	काली नदी नगला नन्दे घाट सेतु का पहुंच मार्ग	7.55
15	काली नदी कानरखेड़ा घाट सेतु का पहुंच मार्ग	9.675
16	ढेला सराय से महमूदपुर वाया अभयपुर रामपुर	11.25
17	खुशहालपुर से नरौली मार्ग	7.60
18	एटा कासगंज मार्ग से रम्पीरिया नगला मार्ग	5.80
19	बरेली मथुरा मार्ग से शमशानघाट मार्ग	5.40
20	बिलराम से जखेरा महेशपुर	12.00
21	समसपुर डेंगरी मार्ग	6.00
22	नगला गुलरिया से नगला टिकुरिया मार्ग	5.40
23	पन्सौती सम्पर्क मार्ग	20.00
24	पटियाली नरदौली मार्ग से नादरमई मार्ग	9.60
25	पटियाली नरदौली मार्ग से नगला सिसईया मार्ग	13.875
26	ढोलना छिछौरा वाया नगला सूमरा मार्ग	18.00
27	कासगंज इस्माइलपुर से खैडीया मार्ग	7.00
28	कासगंज इस्माइलपुर से कुमरूआ मार्ग	6.80
29	विलराम से मुवारिकपुर माफी मार्ग	14.00
30	विलराम से रहमतपुर माफी मार्ग	6.40
31	नदरई डेरी से तिलसई कला कला वाया नगला मुण्डा मार्ग	15.60
32	तवालपुर से हरनाढेर मार्ग	15.675
33	महावर से तवालपुर वाया नगला चोखण्डा मार्ग	12.00
34	सिढपुरा घुमरी से गंगसारा मार्ग	12.00
35	धुमरी पटियाली मार्ग सो नगला टीका से नगला सहजन मार्ग	16.80
36	एटा गंजडुण्डवारा मार्ग से बांसी मार्ग	11.70
37	एटा गजडुण्डवारा मार्ग से मनकई मार्ग	5.10
38	एटा गजडुण्डवारा मार्ग से हीरापुर मार्ग से साईस्ता मार्ग	11.10
39	सिढपुरा पटियाली मार्ग से पावलढेर मार्ग	12.00
40	लोहारी खेड़ा मार्ग से गढी खेडई मार्ग	7.50
41	थाना दरियाबगंज मार्ग से नीबलपुर होते हुए बल्लिया मार्ग	10.80
42	सहावर म्यासुर मार्ग से अलादीनपुर मार्ग	6.00
43	राजा का रामपुर से खैरपुर मार्ग	12.60
44	अशोकपुर रतनपुर सम्पर्क मार्ग	7.80
45	नगला हीरा से कुढा मार्ग	12.60

46	थाना दरियावगंज से बढौला मार्ग	18.00
47	पटियाली नरदौली मार्ग से रनैठी मार्ग	7.20
48	शाहपुर टहला सलेमपुर मार्ग	6.60
49	ढकपुरा भरगैन मार्ग	19.00
50	कासगंज चांडी मार्ग से बहेटा मार्ग	5.40
51	गजडुण्डवारा कादरगंज मार्ग से सिकन्दरपुर वैश्य मार्ग	11.25
52	शहवाजपुर से भीकमपुर (नगला रती आबादी भाग)	8.40
53	इन्द्राजसनपुर मार्ग से हरौरा मार्ग	15.90
54	अलीगंज सोरों मार्ग से सादिकपुर मार्ग	16.80
55	राजा का रामपुर मार्ग से बिलासबांस मार्ग	19.20
56	कासगंज चांडी मार्ग से कासिमपुर मिहारी मार्ग	16.80
57	धर्मपुर शहवाजपुर मार्ग से नागर कंचनपुर मार्ग	19.95
58	अलीगंज सोरों मार्ग से अडूपुरा मार्ग	17.10
59	नगला धनसिंहपुर से म्यासुर मार्ग	9.00
60	राजा का रामपुर से शाहपुर टहला मार्ग	20.00
61	जेथरा थाना दरियावगंज मार्ग से बिजौरा स्वर्गद्वारी मार्ग	19.98
62	थानादरियावगंज मार्ग से सिहौरी मार्ग	19.975
63	थाना दरियावगंज मार्ग से नौगवां चहका मार्ग	6.00
64	कासगंज अमापुर मार्ग से खुशकरी मार्ग	10.00
65	गंजडुण्डवारा कादरगंज मार्ग से समसपुर तराई मार्ग	5.25
66	कासगंज अमापुर मार्ग से करसाना मार्ग	5.50
67	समसपुर करसाना मार्ग से गेन्दूपुरा मार्ग	8.50
68	अमापुर सिढपुरा मार्ग से पिथनपुर मार्ग	12.00
	योग	802.935

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी

विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शाओपओसं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-राओ-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यूओपीओ.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओओ-2/1-11-2013-राओ-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भविदीया,
(लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:वी0आई0पी0-56(1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
- 7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कासगंज ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।